रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062024-254782 CG-DL-E-18062024-254782

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2024/ज्येष्ठ 24, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2024/JYAISHTHA 24, 1946

No. 301]

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

(यूनेस्को यूनिट)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2024

सा.का.िन. 324(अ).—ऑरोविले फाउंडेशन अधिनियम, 1988 (1988 का 54) की धारा 15 की उप-धारा (3) के साथ पिठत धारा 31 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक निकाय, ऑरोविले फाउंडेशन में उप सचिव के पद पर भर्ती की पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है. नामत:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**-(1) इन नियमों को शिक्षा मंत्रालय, ऑरोविले फाउंडेशन, उप सचिव, भर्ती नियम, 2024 कहा जाएगा।
 - (2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. **लागू करना** ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में यथा निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

3548 GI/2024 (1)

- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हता और उनसे संबंधित अन्य मामले वे होंगे, उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।
- 5. अयोग्यता- कोई भी व्यक्ति.-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है:

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकती है।

- 6. **छूट देने की शक्ति** जहां केन्द्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लिखित में दर्ज करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के विषय मे छूट दे सकेगी।
- 7. **सिवाय-** इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	क्या चयन पद है	·
			स्तर	अथवा गैर-चयन	आयु-सीमा
				पद	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उप सचिव	01* (2024)	भारत सरकार के	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं।	लागू नहीं।
(सुरक्षा).	*कार्यभार पर निर्भर	समूह 'क' पद के	लेवल-12		
	भिन्नता के अधीन।	समकक्ष।	(रु.78800 −		
			209200)		

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।
अर्हताएं।	और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।.

भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	केन्द्रीय सरकार पुलिस संगठन या केन्द्रीय सरकार अर्धसैनिक संगठन या राज्य सरकार पुलिस संगठन अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन पुलिस संगठन या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी,-

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; अथवा
(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपये) या समकक्ष में लेवल-11 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो और सुरक्षा संबंधी कार्यों में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो; और निम्न
(ख) शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, -
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री;
(ii) सुरक्षा संबंधी कार्यों में पांच वर्ष का अनुभव।
नोट 1 केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि, , प्रारंभ में 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
नोट 2.– प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?				
	(12)				
1.	चयन समिति की संरचना	अध्यक्ष;			
	शासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित एक शासी बोर्ड सदस्य -				
2.	शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो -	सदस्य;			
3.	सचिव, ऑरोविले फाउंडेशन —	सदस्य;			
4.	अध्यक्ष द्वारा नामित दो बाहरी विशेषज्ञ —	सदस्य.			

वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)
लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.उप सचिव (लेखा एवं लेखापरीक्षा)	01* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन।	भारत सरकार के समूह क पद के समकक्ष।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 (रु. 78800 – 209200)।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

(7)	(8)	(9)	
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा।	केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी,-
	(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
	(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपये) या समकक्ष में लेवल-11 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की है और लेखा और लेखा परीक्षा से संबंधित कार्यों में कम से कम पांच वर्ष का
	अनुभव है और (ख) शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखने वाला, – (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री;
	(ii) लेखा एवं लेखापरीक्षा संबंधी कार्यों में पांच वर्ष का अनुभव।
	नोट 1 केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध सहीत प्रतिनियुक्ति की अविध, प्रारंभ में 3 वर्ष की अविध के लिए होगी जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
	नोट 2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	(12)	
1.	चयन समिति की संरचना	अध्यक्ष;
	शासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित एक शासी बोर्ड सदस्य -	
2.	शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो -	सदस्य;
3.	सचिव, ऑरोविले फाउंडेशन —	सदस्य;
4.	अध्यक्ष द्वारा नामित दो बाहरी विशेषज्ञ —	सदस्य.

(13)	
लागू नहीं।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. उप सचिव (प्रशासन)।	01*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन।	भारत सरकार के समूह 'क' पद के समकक्ष।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 (रु. 78800 – 209200)।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा।	केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के
	अधिकारी,-
	(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
	(ii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रु.)
	या समकक्ष में लेवल-11 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के
	बाद ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा के साथ और प्रशासन और स्थापना
	से संबंधित कार्यों में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव; और
	(ख) शैक्षिक अहर्ता और अनुभव धारण करने वाला,–
	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में
	स्नातक की डिग्री;
	(ii) प्रशासन/स्थापना से संबंधित कार्यों में पांच वर्ष का अनुभव।
	टिप्पणी 1.–केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या
	विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य बाह्य
	संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की
	अवधि, प्रारंभ में 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे 1 वर्ष तक
	बढ़ाया जा सकेगा।
	टिप्पणी 2प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने
	की अंतिम तारीख को अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं
	होगी।

	(12)				
1.	चयन समिति की संरचना।	अध्यक्ष;			
	शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामित शासी निकाय सदस्य -				
2.	शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो -	सदस्य;			
3.	सचिव, औरोविले फ़ाउंडेशन —	सदस्य;			
4.	अध्यक्ष द्वारा नामित दो बाह्य विद्वान —	सदस्य.			

वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है.
(13)
लागू नहीं।

[फा. सं. 27-26/2023-यूयू]

नीता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of Higher Education)

(UNESCO UNIT)

NOTIFICATION

New Delhi, the, 12th June, 2024.

G.S.R. 324(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 31 read with sub-section (3) of section 15 of the Auroville Foundation Act, 1988 (54 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Secretary in Auroville Foundation, a statutory body under the administrative control of the Ministry of Education (Department of Higher Education), namely:—

- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Education, Auroville Foundation, Deputy Secretary, Recruitment Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application. These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. **Disqualification.** No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person: shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Deputy Secretary (Security).	*Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' Post to the Government of India.		Not applicable.	Not applicable.

Not applicable.

Not applicable.

[भाग II—खण्ड 3(i)]

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By deputation.	Officers of the Central Government Police Organisation or Central Government Paramilitary Organisation or State Governments Police Organisation or Union territory Administrations Police Organisation or Security agencies of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,—
	(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or
	(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 11 in the pay matrix (Rs. 67700 – 208700) or equivalent in the parent cadre or department and having at least five years experience in security related works; and
	(b) possessing educational qualifications and experience, –
	(i) Bachelor's Degree in any discipline from a recognized University;
	(ii) Five years' experience in security related works.
	Note 1. —The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall be initially for a period of 3 years which is extendable by 1 year.
	Note 2. —The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.			
	(12)			
1.	Composition of Selection Committee.	Chairperson;		
	A Governing Board Member nominated by the Chairperson of the Governing Board			
2.	A representative of the Ministry of Education not below the rank of Joint Secretary —	Member;		
3.	Secretary, Auroville Foundation —	Member;		
4.	Two external experts nominated by the Chairperson —	Member.		

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
(13)	
Not applicable.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.Deputy Secretary (Accounts and Audit).	01* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' Post to the Government of India.	(Rs. 78800 –	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)
By deputation.	Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,—
	(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or
	(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 11 in the pay matrix (Rs. 67700 – 208700) or equivalent in the parent cadre or department and having at least five years experience in Accounts and Audit related works; and
	(b) possessing educational qualifications and experience, –
	(i) Bachelor's Degree in any discipline from a recognized University;
	(ii) Five years' experience in accounts and audit related works.
	Note 1. —The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall be initially for a period of 3 years which is extendable by 1 year.
	Note 2. —The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

	(12)				
1.	Composition of Selection Committee.	Chairperson;			
	A Governing Board Member nominated by the Chairperson of the Governing Board —				
2.	A representative of the Ministry of Education not below the rank of Joint Secretary —	Member;			
3.	Secretary, Auroville Foundation —	Member;			
4.	Two external experts nominated by the Chairperson —	Member.			

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.Deputy Secretary (Administration).		Equivalent to Group 'A' Post to the Government of India.	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800 – 209200).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	

(10)	(11)	
By deputation.	Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,—	
	(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or	
	(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level–11 in the pay matrix (Rs. 67700 – 208700) or equivalent in the parent cadre or department and having at least five years experience in Administration and Establishment related works; and	
	(b) possessing educational qualifications and experience,—	
	(i) Bachelor's Degree in any discipline from a recognized University;	
	(ii) Five years' experience in Administration/ Establishment related works.	
	Note 1. —The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall be initially for a period of 3 years which is extendable by 1 year.	
	Note 2. —The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

	(12)		
1.	1. Composition of Selection Committee.		
	A Governing Board Member nominated by the Chairperson of the Governing Board —		
2.	A representative of the Ministry of Education not below the rank of Joint Secretary —	Member;	
3.	Secretary, Auroville Foundation —	Member;	
4.	Two external experts nominated by the Chairperson —	Member.	

(13)
(13)
Not applicable.

[F.No. 27-26/2023-UU]

NEETA PRASAD, Jt Secy.